ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-5 No. 2 January–December 2020

कंपनी से समाज की ओर बढ़ते कदम निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

डॉ. मनोज जैन
सहायक आचार्य, वाणिज्य संकाय (लेखा एवं सांख्यिकी विभाग)
बी. जे. एस. रामपुरिया जैन कॉलेज
बीकानेर

सारांश

व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा कोई 21वीं सदी की अवधारणा नहीं है। व्यापार उद्योग के प्रादुर्भाव के साथ ही इस विचारधारा का बीजारोपण हो गया। हालांकि समय परिवर्तन के साथ इसके स्वरूप में आमूलचूल परिवर्तन दृष्टिगत हो रहे हैं। परिवर्तन के इसी क्रम में कंपनी अधिनियम 2013 में एक युगांतकारी प्रावधान निगमिय सामाजिक उत्तरदायित्व का किया गया। इस नवीन प्रावधान के अनुसार कुछ विशेष प्रकार की कंपनियों को अपने पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के कम से कम 2 प्रतिशत राशि सामाजिक उत्तरदायित्व की क्रियाओं पर खर्च करनी होगी।यह राशि खर्च करने के लिए कंपनी के कार्य क्षेत्र के आसपास के इलाकों को प्राथमिकता दी जाएगी।मेरे विचार से यह सामाजिक संवेदनशीलता से प्रेरित विचार है। समाज के द्वारा प्रदत सामाजिक संसाधनों और सामाजिक लागतो के प्रत्युत्तर में व्यावसायिक संस्थानों द्वारा समाज को प्रतिफल की दिशा में उठाया गया एक नैतिकता एवं कर्तव्यपूर्ण कदम कहा जा सकता है। कैसे यह विचार एक तरफ व्यावसायिक संस्थानों के सामाजिक दायित्वों के निर्वहन को संभव बनाता है और कैसे पुनः प्रत्युत्तर में व्यावसायिक संस्थानों को अनेकों प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ प्रदान कर व्यावसायिक सफलता को सुनिश्चित करते हैं। प्रस्तुत लेख में इसी बात को उजागर करने का प्रयास किया गया है। भले ही विधान में यह प्रावधान सभी संस्थाओं के लिए अनिवार्य नहीं किया गया है किंतु कोविड 19 के इस समय में उत्पन्न विश्वव्यापी सामाजिक समस्याओं के निवारण और पिछले 5 वर्षों में सीएसआर की परिधि से बाहर की कंपनियों का इस दिशा में सक्रियता से कार्य करना अपने आप में सीएसआर की प्रासंगिकता को सिद्ध करता है।

प्रस्तावना

व्यवसाय का संचालन एक व्यक्ति या वर्ग विशेष के कारण संभव नहीं होता, अपितु उसे चलाने के लिए एक बहुत बड़ा आधार (समाज) सक्रिय होता है। समाज के विभिन्न वर्ग व्यवसाय को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से अनेक साधन उपलब्ध करवाते हैं और व्यवसाय चलाने की क्षमता प्रदान करते हैं। व्यवसाय व समाज के विभिन्न वर्गों का अस्तित्व व उद्देश्य अंतनिर्भर होते हैं। एक के अभाव में दूसरा निष्क्रिय एवं अधूरा है।

जब समाज के विभिन्न वर्ग व्यवसाय को साधन प्रदान करते हैं तो यहां आशा जरूर रखते हैं कि.....

- व्यवसाय उनके सहयोग के जवाब में उनके हितों का पूरा ध्यान रखें।
- व्यवसाय का संचालन पूर्णतया सामाजिक मापदंडों के अनुरूप किया जाए।
- व्यवसायिक परियोजना निर्णय लेते समय सामाजिक व राष्ट्रीय हितों को सर्वोत्तम प्राथमिकता में रखा जाए।

Copyright © 2020 Authors

यदि समाज संसाधन व क्षमता देता है तो यह भी अधिकार रखता है कि उनके सहयोग के प्रत्युत्तर में उन्हें पूर्ण प्रतिफल मिले। यही विचारधारा सामाजिक उत्तरदायित्व/जवाबदेयता कहलाती है। यह लेनदेन की धारणा ही व्यवसाय को दीर्घकालीन एवं सुरक्षित बनाती है।

यह अपने आप में सार्वभौमिक सत्य है, कि व्यवसाय एकांगी प्रवृत्ति के बजाय सहगामी प्रवृत्ति का परिणाम है। यह एक ऐसी अवधारणा/विचार है जो व्यवसाय की स्थापना, संचालन और उतरोतर विकास के लिए अनिवार्य है। स्पष्ट है कि बिना सामाजिक सहयोग के व्यवसाय कठिन ही नहीं,असंभव है! व्यवसायिक सफलता का श्रेय सामाजिक सहयोग को ही जाता है। अतः व्यवसाय का सामाजिक कर्तव्य है कि वह समाज के वर्गों के प्रति जागरूकता बनाए रखें और अपने व्यवसाय का संचालन सामाजिक मापदंडों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार करें कि सभी वर्गों की अपेक्षाएं पूरी होती रहे । यही सामाजिक उत्तरदायित्व कहलायेगा और यह तभी संभव बन पाएगा जब व्यवसायिक का संचालन नीतिशास्त्रीय ढंग से किया जाएगा।

कंपनी अधिनियम 2013 में एक युगांतकारी प्रावधान करते हुए निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) को प्रस्तुत किया गया। इस प्रावधान के अनुसार कुछ विशेष प्रकार की कंपनियों को अपने पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के कम से कम 2 प्रतिशत राशि निगमित सामाजिक दायित्व की क्रियाओं पर खर्च करनी होगी। अधिनियम की अनुसूची 7 में कुछ गतिविधियों को निर्दिष्ट किया गया है जो कंपनियों द्वारा अपने सीएसआर नीतियों में शामिल की जा सकती है। एमसीए ने मार्च 2020 में कहा है कि ब्व्टप्क् 19 को रोकने की दिशा में कोई भी खर्च योग्यराशि सीएसआर गतिविधियों में शामिल होगी।

आज कंपनी छोटी हो या बड़ी,लगभग सभी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपने कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) के जरिए वे न सिर्फ समाज से जुड़ती है, बल्कि एक तरह से अपने ब्रांड को भी समाज में अच्छी तरह से स्थापित करने की कोशिश करती है।इससे समाज में कंपनी के बारे में संदेश जाता है कि वह समाज के मुद्दों के प्रति कितनी संवेदनशील है। जिससे जनमानस में कंपनी की छवि बतौर एक जिम्मेदार कंपनी के रूप में अंकित हो जाती है।

सीएसआर की प्रासंगिकता -

कंपनी के संदर्भ में सीएसआर की प्रासंगिकता को निम्नांकित तथ्य और अधिक स्पष्ट रूप से उजागर कर सकते हैं -

- **बेहतर सामाजिक छवि और व्यापक स्तर पर संबंधों का निर्माण-**

आमजन को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना,स्थानीय सेवाओं का विस्तार करना, सूखा, अकाल बाढ़, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय आगे आकर सहभागिता निभाना, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था ,चिकित्सा सेवाएं शहरी आवास व्यवस्था, बच्चों एवं निराश्रित वृद्धजनों के लिए आश्रय स्थल, विकलांग वर्ग हेतु रोजगार व प्रशिक्षण व्यवस्था जैसे अनेक कार्य कंपनी के ऐसे सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वहनके विशेष पहलू है जिससे कंपनियों के स्थानीय समुदाय से संबंधों केपरे राज्य,राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर तक व्यापक संबंधों का निर्माण होता है। परिणाम स्वरूप कंपनी की बेहतर सामाजिक छवि का सहज ही निर्माण हो जाता है।

- **बढ़ सकते हैं विनियोजक -**

एक कंपनी जो सामाजिक क्षति का कारण बनती है अथवा वातावरण में विभिन्न प्रकार के प्रदूषण फैलाती है, उसे विनियोग जोखिम कंपनी की श्रेणी में रखा जाता है। विकसित देशों के

 Copyright © 2020 Authors

विनियोजाको ने ऐसे संगठन बना लिए हैं जो विनियोग जोखिम वाली कंपनियों में विनियोग के बजाय सीएसआर के निर्वहन में संलग्न सक्रिय कंपनियों में विनियोग को प्राथमिकता देते हैं।समाज पर हमारे बढ़ते हुए प्रभाव से सिर्फ हमारी छवि को जो फायदा मिलता है उसमें बहुत से अन्य लोग अपना भी फायदा ढूंढते हैं। जब लोगों के बीच हमारी साख बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर उनका रुझान हमारे उत्पाद और सेवा की ओर बढ़ सकता है।इस तरह हमारी कंपनी में लोगों का बढ़ता विश्वास विभिन्न विनियोजको को हमारी कंपनी में विनियोग के लिए प्रेरित कर सकता है। तो बेहतर सीएसआर हमारे लिए लोगों में अपने पक्ष में राय बनाने के साथ-साथ विनियोजको को अपनी ओर आकर्षित करने का भी माध्यम बन सकता है।

- **सशक्त मानव संसाधन संपत्ति का निर्माण-**

सीएसआर के अंतर्गत मानव संसाधन के क्षेत्र में कंपनियां कर्मचारियों व श्रमिकों की नियुक्ति, नीतियां, परंपराएं,प्रशिक्षण अनुभव-अर्जन, कार्य कुशलता में वृद्धि के अवसर, मजदूरी व वेतन के स्तर, सेवा-सुरक्षा,स्थानांतरण व पदोन्नति के अवसर,श्रम संघ के हितों में कल्याणकारी कार्यों आदि में उदार दृष्टिकोण अपनाती है। इसके परिणामस्वरूप नियोक्ता एवं नियुक्ति में परस्पर विश्वास व साख का निर्माण होता है। कंपनी के अस्तित्व एवं विकास का केंद्र बिंदु मानव संसाधन विभाग मजबूत व विश्वासी बनता है।

- **रचनात्मकता में वृद्धि-**

नियोक्ता का कर्मचारी केंद्रित व्यवहार,नौकरी में समुचित सम्मान और व्यक्तिगत विकास हेतु दिए गए अवसरों से कर्मचारी के संतुष्टि स्तर का विकास होता है तो कर्मचारी स्वत ही उत्पाद नवाचार, उत्पाद समस्या व समाधान की दिशा में नए नए और बेहतर तरीके विकसित करने हेतु अभिप्रेरित होते हैं और संपूर्ण संस्था में रचनात्मकता को प्रोत्साहन मिलता है। ग्राहक अभिवृद्धि-

प्रत्येक संस्था का बीजबिंदु बाजार का राजा ग्राहक होता है,जिसका संबंध प्राय उत्पाद व सेवा की उपयोगिता, गुणवत्ता, मूल्य, टिकाऊपन, सुरक्षा, उत्पाद का जीवन, विज्ञापन की सत्यता सामयिक आपूर्ति आदि में निहित होता है। इन पहलुओं की पूर्ति व्यापक स्तर पर ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी को संभव बनाती है। ग्राहकों की संख्या का प्रत्यक्ष संबंध कंपनी की लाभदेयता से बनता है।

- **संस्थागत चहुमुखी साख अभिवृद्धि-**

हमारी सीएसआर का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि हमारे एम्पलाई और दूसरे क्लाइंट्स के बीच हमारे सामाजिक कार्यों के चलते हमारी अच्छी साख बन जाती है । हमारी कंपनी से व्यापार करते समय जब लोग हमारी कंपनी के इमेज के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में हमारी छवि एक जिम्मेदार और समाज हितों केंद्रित कंपनी के बतौर ही उभर कर सामने आती है।

- **बनते हैं बेहतर संबंध-**

समाज के लिए काम करने के लिए हमें समाज के बीच में तो जाना ही पड़ेगा।इसके अलावा अपने कैंप या कोई दूसरा आयोजन करने के लिए हमें स्थानीय अधिकारियों की भी मदद लेनी पड़ेगी।इस तरह हमारे सीएसआर के जरिए हमारे लोगों का तो स्नेह मिलेगा ही, साथ ही स्थानीय प्राधिकरणों से भी हमारे संबंध मजबूत बनते हैं। इससे हमारी व्यापारिक परेशानियां काफी हद तक कम हो जाती है।

- **दीर्घकालीन स्थिरता-**

 Copyright © 2020 Authors

संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग और उत्पादन प्रक्रियाओं के कारण वायु व जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, पर्यावरणीय असंतुलन, मानवीय तत्व का अव, उर्जा तत्व का अपव्यय, एक अधिकारी लागते, प्रतिस्पर्धा एवं विज्ञापन जनित और ऐसी अनगिनत लागतो से समाज को होने वाली सामाजिक क्षतिके प्रत्युत्तर में एक कंपनी अपने सीएसआर के तौर पर वातावरण, उत्पाद, समाज, ऊर्जा, मानव संसाधन प्रबंध व जन कल्याण कार्य को समाहित करते हैं। समाज पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को रोकने की दिशा में किए गए कंपनी के कार्यों से एक कंपनी को अधिक टिकाऊ और दीर्घजीवी बना देती है।

- **वैधानिक पालना एवं निश्चितता-**

कंपनी के विभिन्न पक्षकारों में सरकार का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। एक सीमा तक व्यवसाय का प्रारंभ सहज संचालन और समापन सरकार के नीति नियमों के अधीन ही है। सीएसआर के तहत कंपनी द्वारा सामुदायिक विकास, मानव संसाधन, भौतिक संसाधन और वातावरण, उत्पाद व सेवा के परिपेक्ष में यह जांच की जाती है कि अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण संबंधी मामलों को ध्यान में रखा गया है अथवा नहीं? उपनगरीय निर्माण, शिक्षण संस्थाओं तथा अनुसंधान केंद्रों की स्थापना में योगदान संतोषप्रद है अथवा नहीं? इस प्रकार सीएसआर इन सभी सरकारी अपेक्षाओं, आदेशों और निर्देशों का पालन कर कंपनी को पूर्णतया निश्चिंत कर देता है।

निष्कर्ष:

निसंदेह कहा जा सकता है कि अधिकारों की प्राप्ति के साथ दायित्व निर्वहन जुड़ा होता है।जब समाज व्यवसाय को चल व अचल, भौतिक व मानवीय संसाधन प्रदान कर व्यवसायिक स्वरूप प्रदान करता है तो इसके बदले में सामाजिक हित में कार्य करना संस्था का प्राथमिक दायित्व बन जाता है। भले ही विधान में यह प्रावधान सभी संस्थाओं के लिए अनिवार्य नहीं किया गया है किंतु व्यवसाय की नैतिक जिम्मेदारी की दृष्टि से यह कंपनी का मुख्य दायित्व बनता है।यह भी उल्लेखनीय है कि जन एवं लोक कल्याण में किया गया यह खर्च वास्तव में एक विशिष्ट विनियोग है जो अप्रत्यक्ष रूप में एक बड़े रिटर्न के साथ कंपनी को स्वत ही अर्जित हो जाता है।

संदर्भ सूची-

- उच्चतर लेखांकन, रमेश बुक डिपो जयपुर, 2004
- कंपनी विधि रमेश बुक डिपो जयपुर, 2016।
- कंपनी विधि अजमेरा बुक कंपनी जयपुर, 2015
- राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र मई, 2018
- राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र जून, 2019

 Copyright © 2020 Authors